तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/12/25	वकील प्रार्थी उप०। TDR Report अप्राप्त। पत्रा० वास्ते इंतजार TDR Report दि० 12/1/26 को पेश हो।
12/1/26	[illegible] पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। [illegible] कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 27/1/26 को पेश हो
27/1/26	पत्रावली पेश हुई अभि[illegible] [illegible]स्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य [illegible] बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। [illegible] कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत [illegible] दिनांक 5/2/26 को पेश हो रिपोर्ट TDR प्राप्त।
5/2/26	वकील प्रार्थी उप०। TDR Report प्राप्त। पत्रा० वास्ते जवाब पैरोकार सरकार दि० 19/2/26 को पेश हो।
19/2/26	वकील प्रार्थी उप.। जवाब पैरोकार सरकार प्राप्त। बहस प्रा० पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/2/26 को पेश हो।
27/2/26	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा. पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर कृषि जोत हेतु नवीन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. मि. किया गया। TDR को पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी करेश R.A.S.

...सं०	तारीख दायरा	तारीख फैसला
...प्रा.पत्र/2025	03.09.2025	27.02.2026

...मु कुमारी सुमन पुत्री रामगोपाल सुमन जाति माली म.नं. 653, कोलोनी महालक्ष्मी अपार्टमेन्ट के पास राठौर भवन, गुमानपुरा थाने के पास, छावनी, कोटा

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री नन्दसिंह सौलंकी

अधिवक्ता अप्रार्थी :- पैरोकार सरकार

- : : निर्णय : : -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार भूमि खाता स. 86 नया 74 पुराना खसरा संख्या 793/92 रकबा 0.0647 हैक्टेयर वाके ग्राम सीतापुरा पटवार हल्का अल्फानगर भू.अभि.नि. बरून्धन तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है उक्त भूमि पर आने-जाने के लिए कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए मौके पर रास्ता मौजूद है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जो कि सिवाईचक भूमि खसरा सं. 1285/983 रकबा 1.6268 हैक्टेयर वाके ग्राम सीतापुरा में विस्थित है जिस पर होकर प्रार्थी अपनी भूमि पर जाता है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर पंहुच के लिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता नही होने के कारण कोई भी व्यक्ति उक्त रास्ते को बन्द कर देता है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है प्रार्थी को अप्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 1285/983 रकबा 1.6268 हैक्टेयर वाके ग्राम सीतापुरा पटवार हल्का अल्फानगर भू.अभि. नि. बरून्धन तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है में से 30 फिट चौडाई के रास्ते की आवश्यकता है अप्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि से नवीन मार्ग राजस्व रिकार्ड में सृजित होगा। प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि पर रास्ता कृषि भूमि पर पंहुच हेतु आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थी के पास स्वयं की कृषि भूमि पर पंहुच का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थी ये आवेदन पत्र रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता हेतु पेश कर रहा है भूमि के मूल्य वृद्धि हेतु प्रार्थी यह आवेदन पत्र प्रस्तुत नही कर रहा है। अप्रार्थीगण की भूमि पर 30 फिट चौड़ाई का नवीन रास्ता सृजित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया तो रास्ते के अभाव में हमेशा के लिए प्रार्थी को अपनी भूमि पर माल का लाना व ले जाना मुश्किल हो जायेगा, इससे प्रार्थी को भारी अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की भूमि खाता स. 86 नया 74 पुराना खसरा संख्या 793/92 रकबा 0.0647 हैक्टेयर वाके ग्राम सीतापुरा पटवार हल्का अल्फानगर भू.अभि.नि. बरून्धन तहसील तालेडा जिला बून्दी पर पंहुच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 1285/983 रकबा 1.6268 हैक्टेयर वाके ग्राम सीतापुरा पटवार हल्का अल्फानगर भू.अभि. नि. बरून्धन तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है मे से 30 फिट चोड़ाई का तथा प्रार्थी की भूमि तक पंहुच की लम्बाई का रास्ता रिकार्ड में दर्ज कर गैर मुमकिन रास्ते के रूप में नोट अंकित कर।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा ने जर्ये पत्रांक 17 दिनांक 05.01.2026 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी की आवेदित आराजी पर जाने हेतु खसरा सं. 1285/983 रकबा 1.6268 हैक्टेयर वाके ग्राम सीतापुरा पटवार हल्का अल्फानगर में से लगभग 12 फीट चौडा चलायमान रास्ता पूर्व से ही मौजूद है जाकि आवेदनकर्ता के खेत तक जाता है आवेदनकर्ता की भूमि तक पहुंच मार्ग बना हुआ है। आवेदनकर्ता ने प्रार्थना पत्र अनुसार 30 फिट चौडा मार्ग चाहा है। ख0स0ं 285/983 रकबा 1.6268 हैक्टेयर किस्म बंजड सिवायचक भूमि पर मुताबिक रेकार्ड खसरा परिवर्तनशील (पी-14) के अनुसार संवत 2082 खरीफ में भंवरलाल वल्द बद्रीलाल जाति तेली निवासी सीतापुरा का कब्जा 0.1376 हैक्टे0 पर चावल की फसल कन्हैयालाल वल्द रामप्रसाद धाकड नि0 सीतापुरा रकबा 0.3237 हैक्टे0 पर चावल एवं बलवीर पुत्र मोहनलाल जाति तेली नि0 सीतापुरा का रकाब 0.2428 हैक्टे0 पर चावल की फसल

...करण दर्ज है जिसकी राजस्व के नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। सम्बन्धित ख0सं0 की ...र पूर्व में विवाद चला था जिसका प्रकरण तालेडा थाने में दर्ज है।

पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि आवेदक की भूमि तक पहुंच हेतु पूर्व से ...क चालू मार्ग विधमान है जिससे भूमि पूर्णतः मार्गहीन नही है। आवेदक द्वारा मांगा गया 30 फीट ...चौडा मार्ग अनिवार्य आवश्यकता के बजाय विस्तार/सुविधा की श्रेणी में आता है। सम्बन्धित भूमि विवादग्रस्त/संवेदनशील है। खातेदार की भूमि ख0सं0 793/92 के वर्तमान उपयोग के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन में कोई स्पष्ट प्रविष्टि नही है जिससे धारा 251(क) आरटीएक्ट के अन्तर्गत आवेदन स्वीकार योग्य नही है।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में नकल जमाबंदी खाता सं. 536 नया 318 पुराना खसरा संख्या 793/92 रकबा 0.0647 हैक्टेयर वाके ग्राम सीतापुरा पटवार हल्का अल्फानगर भू.अभि. नि. बरूध्यन तहसील तालेडा जिला बून्दी व सिवायचक आराजी ख0सं0 1285/938 की प्रति पेश की।

वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंच हेतु न्युनतम रास्ता तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उपयुक्त है अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि पर नही होने से प्रार्थी को अपनी भूमि पर पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक की भूमि तक पहुंच हेतु पूर्व से एक चालू मार्ग विधमान है जिससे भूमि पूर्णतः मार्गहीन नही है। आवेदक द्वारा मांगा गया 30 फीट चौडा मार्ग अनिवार्य आवश्यकता के बजाय विस्तार/सुविधा की श्रेणी में आता है। सम्बन्धित भूमि विवादग्रस्त/संवेदनशील है। खातेदार की भूमि ख0सं0 793/92 के वर्तमान उपयोग के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन में कोई स्पष्ट प्रविष्टि नही है जिससे धारा 251(क) के अन्तर्गत आवेदन स्वीकार योग्य नही है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि आवेदक की भूमि तक पहुंच हेतु पूर्व से एक चालू मार्ग विधमान है जिससे भूमि पूर्णतः मार्गहीन नही है। आवेदक द्वारा मांगा गया 30 फीट चौडा मार्ग अनिवार्य आवश्यकता के बजाय विस्तार/सुविधा की श्रेणी में आता है। किन्तु तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आवेदक की कृषि भूमि पर पहुंच हेतु चलायमान रास्ता है जो सिवायचक भूमि से होकर गुजरता है किन्तु राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज रेकार्ड नही है अतः आवेदक को कृषि जोत पर पहुंच हेतु रास्ता दर्ज रेकार्ड करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

परिणामतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 793/92 रकबा 0.0647 है0 वाके ग्राम सीतापुरा पटवार मण्डल अल्फानगर तहसील तालेडा में आने-जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए सिवायचक आराजी खसरा संख्या ख0सं0 1285/983 रकबा 1.6268 हैक्टे0 में से 12 फिट चौडा एवं औसतन लम्बाई 48.5 फिट कुल क्षेत्रफल 582 वर्गफिट संलग्न नक्शा अनुसार चौडाई में आंशिक संशोधन करते हुए चोडाई 30 के स्थान पर 12 फिट चोडाई का नया मार्ग सृजित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित किया जावे तथा रास्ता का सीमांकन किया जावे। राजस्व अभिलेखों में उक्त रास्ता दर्ज करने से पूर्व प्रार्थी से रास्ते में उपयोग आने वाली भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 राशि का दुगुना राजकोष में नियमानुसार जमा किया जावे तत्पश्चात् राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता अभिलिखित किया जावे। प्रार्थी रास्ते के रूप मे दर्ज होने वाली भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में ही करेंगे, उस रास्ते पर कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार तालेडा एवं प्रार्थीगण को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा